☎2286710, 2286709
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः–5415/01/29/HFA-13/2017–18

दिनांकः– 28 मार्च, 2018

समयबद्ध/महत्वपूर्ण

समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–**प्रधानमत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत जनपदों को अवमुक्त धनराशि स्वीकृत लाभार्थियों को अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जनपदों को दिनांक 17.10.2017 को रु0 298.965 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात् दिनांक 01.02.2018 को रु0 39.225 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी तथा समस्त लाभार्थियों को तत्काल जीरो लेवल जियो टैगिंग के पश्चात् राज्यांश की धनराशि में से प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 21838 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की गयी है, जबकि जिओ टैग 94532 लाभार्थियों का हो चुका है, अवशेष 72694 लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जानी है। इस हेतु समस्त पीएमसी कन्सलटेन्ट्स को जिओ टैग हो चुके समस्त लाभार्थियों की पत्रावलियां, जिसमें लाभार्थी का शपथ पत्र फोटो सहित, भू–स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र/शपथ पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति हो, तीन दिवस के अन्दर डूडा कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पीएमसी कन्सलटेन्ट्स द्वारा जिओ टैग हो चुके समस्त लाभार्थियों की पत्रावलियां दिनांक 30.03.2018 तक प्राप्त कर कन्सलटेन्ट को प्राप्ति देते हुए सूडा मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

HFA6/13